राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिह तोमर आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 119/019 आर सी एम सए नं0 2019/00138 तारीख रजू 19.02.2019

सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली :-प्रार्थी

बनाम

1.बदरी पुत्र मिश्रा जाति मीना निवासी मोहनपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली(फौत)

1/1 रामगोपाल } पिसरान बदरी जाति मीना निवासी मोहनपुरा
1/2 तेजराम

1/3 रूमाली
1/4 गुड्डी } पुत्रियां बदरी जाति मीना निवासी मोहनपुरा
1/5 अनिता

:- अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः-1 पैरोकार सरकार तहसीलदार

निर्णय **दिनांकः-** 26.02.2020

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नम्बर 136, 136/2846 रकवा 0.38 है0 ग्राम मोहनपुरा तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लैण्डहोल्डर है यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 1193 रकवा 17 वीघा 2 विस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन नदी के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2013 से 16 के खाता संख्या 1 मे यह भूमि नियमन होकर बदरी पुत्र मिश्रा के खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 1193 का नवीन खसरा नम्बर 136, 136/2846 रकवा 0.38 है0 बनाकर हाल जमाबंदी मे अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नही होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8.1947 मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 136, 136/2846 रकवा 0.38 है0 वाके ग्राम मोहनपुरा को वापिस राजकीय भूमि गैरमुमकिन नदी को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिऐ प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, मिसल जमाबंदी सम्बत 2013 से 16, मिलान क्षेत्रफल ,हाल जमांबदी संम्बंत 2070 से 2073 तक खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश की है।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसमे अप्रार्थीयान् की विधिवत् तामील होने के उपरांत भी कोई उपस्थित नही है इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

हमने पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ के अनुसार सही पेश किया गया है जिसकी ताहीद में साविक व हाल रिकॉर्ड सामिल पत्रावली है जिसमे भूमि गैर मु. तलाई थी जिसे नियमन/आवंटन गलत तरीके से किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बंत 2013 से 16 के खाता संख्या 1 मे आराजी खसरा नं. 1193 रकवा 17 बीघा 2 बिस्वा किस्म से गै0 मु0 नदी के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है जिसे नामान्तकरण संख्या 508 से इस आराजी में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन/नियमन से खातेदारी में अप्रार्थी बदरी पुत्र मिश्रा जाति मीना निवासी मोहनपुरा दर्ज होकर खातेदारी मे दर्ज हो गई है अब वर्तमान में अप्रार्थीयान मौके पर काबिज है। भूमि जमाबंदी में जिम्मन नं. 1 में जल मग्न होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील, तालब, नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय मे उल्लेख किया हैं कि All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammened accordingly. माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका मे पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 136, 136/2846 रकवा 0.38 है0 ग्राम मोहनपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली की भूमि को बापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2013 से 2016 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन नदी दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(सुदर्शन सिह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2020.05.19 11:35:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: